उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

दिनांक 18 फरवरी 2025 (मंगलवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कियाः–

1. प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उ0मु0वि0वि0,हल्द्वानी — **अध्यक्ष**
2. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। — **सदस्य**
3. डा0 अजय कुमार गुप्ता, सी0ई0ओ0, सेचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुआँ। — **सदस्य**
4. प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान वि0शा0, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। — **सदस्य**
5. प्रो0 पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान वि0शा0, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। — **सदस्य**
6. प्रो0 रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी वि0शा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। — **सदस्य**
7. प्रो0 जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। — **सदस्य**
8. प्रो0 सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। — **सदस्य सचिव**

आमंत्रित सदस्य

9. श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. डा0 सुमित प्रसाद, उप परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
12. डा0 ज्योति रानी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
13. डा0 सुनील कुमार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी
14. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव (परीक्षा), उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी
15. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक (कम्प्यूटर आई0टी0), उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, परीक्षा समिति (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की 19वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करने हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया गया। बैठक में प्रस्ताववार चर्चा की गयी तथा उसके सापेक्ष निम्नवत संस्तुतियां प्रदान की गयीः–

मद संख्या 19:01– 18वीं बैठक, दिनांक 14 अगस्त 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14 अगस्त 2024 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा अवलोकन करने के उपरांत सर्व सम्मति से अनुमोदन दिया गया।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 19:02– परीक्षा समिति की 18वीं, बैठक दिनांक 14 अगस्त 2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परीक्षा समिति की 18वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2024 की कृत कार्यवाही की जानकारी सदस्य सचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई, तदनुरूप विचार–विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से कृत कार्यवाही पर अनुमोदन किया गया।

मद संख्या 19.03– सामान्य वैकल्पिक (Generic elective-GE), मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (Value Added Course-VAC) व क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रमों (Ability Enhancement Courses-AEC) की परीक्षायें, आगामी ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जुलाई, 2025 से ओ0एम0आर0 आधारित आयोजित करने के सम्बन्ध में निर्णय।

विश्वविद्यालय के सामान्य वैकल्पिक (Generic elective-GE), मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (Value Added Course-VAC), क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रमों (Ability Enhancement Courses-AEC) एवं (Skill Enhancement Courses-SEC) की परीक्षायें, अभी तक परंपरागत माध्यम (वर्णनात्मक पद्धति) से करायी जा रही है, इन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षार्थी पंजीकृत होते है, जिस कारण से मूल्यांकन की जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या अत्यधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप कतिपय समय मूल्यांकन में लगने वाले समय व संसाधनों के दृष्टिकोण से परीक्षा परिणाम तैयार करने में देरी होने की संभावना बनी रहती है। प्रस्तावित है कि शैक्षिक संवर्द्धन व उन्नयन हेतु उक्त पाठ्यक्रमों में आगामी ग्रीष्मकालीन प्रवेश सत्र जुलाई, 2025 से ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना उपयुक्त होगा।

निर्णय– **प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्नातक स्तर के उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र जुलाई–2025 के प्रवेशार्थियों की परीक्षाएं, जो कि शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर–2025 में होनी प्रस्तावित है, ओ0एम0आर0 पद्धति पर सम्पादित की जाए। इस हेतु यह भी निदेर्शित किया गया है कि उक्त पाठ्यक्रमों में विषय संयोजन का कार्य निदेशक–अकादमिक द्वारा प्रवेश व परीक्षा अनुभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुए किया जायेगा।**

मद संख्या 19.04–आगामी परीक्षा सत्रों में ब्लूम टेक्सानॉमी (Bloom Taxanomy) आधार पर प्रश्न पत्रों के निर्माण पर चर्चा।

समिति के समक्ष प्रस्ताव दिया गया कि परीक्षा अनुभाग का यह मंतव्य है कि आगामी परीक्षा सत्रों में ब्लूम टेक्सानॉमी (Bloom Taxanomy) आधार पर प्रश्न पत्रों के निर्माण करने पर विचार किया जा सकता है ताकि छात्रों के ज्ञान व कौशलात्मक विकास के साथ ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के समावेशी उन्नति का मूल्यांकन किया जा सके।

निर्णय– **बैठक में गहन रूप से विचार करने के उपरांत इस निर्णय के साथ संस्तुति दी गयी कि प्रश्नपत्रों का निर्माण CO-PO (Coures Outcomes-program Outcomes) आधार पर किया जाय। इस हेतु शीघ्र ही निदेशक–अकादमिक/सीका के स्तर से समस्त शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन के उपरांत प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर लागू किये जाने की तिथि/सत्र के संबंध में कुलपति महोदय के द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। कुलपति जी द्वारा लिये जाने वाले निर्णयानुसार भविष्य में Question Bank बनाये जाने हेतु ICT अनुभाग द्वारा सुसज्जित व्यवस्था की जा सकेगी।**

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18/02/2025
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

मद संख्या 19.05–विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाईन प्रवेश सह परीक्षा फार्म भरते समय परीक्षा केन्द्र का चयन करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में अधिकतम छात्रों के पंजीकरण की सीमा का निर्धारण किया गया है, पर कार्योत्तर अनुमोदन।

समिति विदित है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रवेश सह परीक्षा फार्म एक बार में ही भराया जाता है। सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रवेश के समय ही अपनी सुविधानुसार एक परीक्षा शहर का चयन कर लेते है एवं तद्नुसार उनकी परीक्षा उसी शहर पर आयोजित की जाती है।

सम्प्रति, विश्वविद्यालय के कतिपय परीक्षा केन्द्रों यथा हे0न0ब0 गढवाल वि0वि0 पौड़ी परिसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर इत्यादि द्वारा उनके केन्द्र पर संसाधनों की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित सीमा में छात्रों की परीक्षा आयोजन कराने के सम्बन्ध में परीक्षा नियत्रंक को अवगत कराया गया है। चूँकि विश्वविद्यालय, परीक्षा केन्द्रों की समस्या के निवारण के प्रति प्रयासरत है व साथ ही अकादमिक वर्ष 2024–25 के शीतकालीन प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 की प्रवेश प्रक्रिया भी गतिमान है। अंतोगत्वा परीक्षाओं के ढांचागत प्रबंधन में सुदृढता, परीक्षा केन्द्रों में ढांचागत समानता लाने एवं केन्द्र पर छात्र अनुपात में समंजस्य स्थापित करने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिकोण से उक्त सत्र (शीतकालीन प्रवेश सत्र जनवरी, 2025) से ही ऑनलाईन प्रवेश सह परीक्षा फार्म भरते समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रो के चयन में आवश्यकतानुसार अधिकतम सीमा (कैपिंग) का निर्धारण कर लिया गया है।

निर्णय – **समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए केन्द्रों की सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सर्वसम्मति से सहमति देते हुए यथावत अनुमोदन दिया गया।**

मद संख्या 19.06– ओ0डी0एल0–2020 विनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी हेतु कैमरो से वीडियों रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करना व रिकॉर्डिंग डाटा को 01 वर्ष तक सुरक्षित रखना, के सम्बन्ध में विचार व निर्णय।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0, ओ0डी0एल0–2020 विनियम में प्राविधानित है कि विश्वविद्यालय को अपने स्थापित परीक्षा केन्द्रों में निष्पक्षता, पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए मानकोनुसार वीडियो रिकार्डिंग हेतु कैमरे लगाये जाने वांछित है एवं साथ में यह भी उपबंधित है कि कैमरों के माध्यम से रिकार्डिंग डाटा को आगामी 01 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा।

निर्णय– **समिति द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा करने के बाद में सर्वसम्मति से यह संस्तुति प्रदान की गयी कि परीक्षा केन्द्रों से यह सूचना प्राप्त कर ली जाए कि सभी परीक्षा केन्द्र पर कैमरे व वीडियों रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है अथवा नही। इसके उपरांत ही विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही आउटसोर्स व्यवस्था से परीक्षा केन्द्रों में वीडियों रिकॉर्डिंग का कार्य सम्पादित कराये जाने पर कार्यकारी स्तर से यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।**

मद संख्या 19.07–MAPSY-21 एवं MAPSY-24 कार्यक्रमों में दो विषयों/शीषकों (Psychological Measurement एवं Psychological Statistics) को एक ही प्रश्न पत्र कोड MAPSY-502 आंवटित होने एवं इससे दो अलग–अलग प्रश्नपत्र जुड़े होने के कारण परीक्षा कराने में समस्या उत्पन हुई थी, के सम्बन्ध में विचार एवं आगामी सत्रों में स्पष्टता के लिए दिशा–निर्देश/निर्णय के सम्बन्ध में।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18/02/2025

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के MAPSY-21 एवं MAPSY-24 कार्यक्रमों में दो विभिन्न विषयों/शीषकों (Psychological Measurement एवं Psychological Statistics) को एक ही प्रश्न पत्र कोड MAPSY-502 आवंटित किया गया है, जिसकी सूचना, परीक्षा अनुभाग को शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर, 2024 (फरवरी, 2025) के आरम्भ होने से चार दिन पूर्व प्राप्त हुई। एक ही आवंटन कोड से दो अलग–अलग प्रश्नपत्र जुड़े होने के कारण परीक्षा कराने में समस्या दृष्टिगोचर थी, फलस्वरूप गतिमान परीक्षाओं में छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत MAPSY-24 शीर्षक का प्रश्नपत्र कोड MAPSY–502 से परिवर्तित कर MAPSY-511 (Psychological Measurement) में कर दिया गया है। यह भी संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 07.02.2025 को द्वितीय पाली में आयोजित परीक्षा के दौरान शिक्षार्थियों के द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें MAPSY-24 कार्यक्रम के शीर्षक (Psychological Measurement) के बजाय शीर्षक (Psychological Statistics) की पुस्तक दी गयी है, जिसके क्रम में वे उसी प्रश्नपत्र की तैयारी करके परीक्षा देने हेतु उपस्थित हुए हैं।

निर्णय– **समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन व विषलेषण करने के उपरांत अकादमिक स्तर के विभाग द्वारा किये गये कृत्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए खेद प्रकट किया। तद्क्रम में समिति ने यह संस्तुति दी कि कार्य की महत्ता को गंभीरता से न लेते हुए की गयी लापरवाही व उदासीनता के प्रति कुलसचिव द्वारा संबंधित कार्यक्रम समन्वयक को कठोर चेतावनी पत्र दिया जायेगा तथा साथ में यह भी निर्दिष्ट किया कि भविष्य में जिन विद्याशाखाओं के द्वारा प्रश्नपत्रों के कोड का निमार्ण किया जाना होगा उसके लिए संबंधित विभाग, निदेशक–अकादमिक और प्रवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ही प्रश्नपत्रों के कोड का निर्माण कर लागू किया जाए।**

मद संख्या 19.08–विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रदेश में अवस्थित कतिपय राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों से मुख्यालय को प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों पर चर्चा।

समिति विदित है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुल 71 परीक्षा केन्द्र संचालित है। संज्ञान में लाया गया कि कतिपय संस्थानों द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय को प्रेषित किये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	राजकीय महाविद्यालय/संस्थान	आवेदन दिनांक
1	डॉ0 सुशीला तिवाड़ी पी0जी0 कॉलेज, सितारगंज	25.11.2024
2	महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, नानकमता (उधम सिंह नगर)	28.122024
3	आर0एल0एस0 मेमोरियल डिग्री कॉलेज, किशनपुर, जसपुर	04.10.2024
4	राजकीय महाविद्यालय, कण्वघाटी, कोटद्वार	02.04.2024
5	राजकीय महाविद्यालय, कमान्द	06.11.2024
6	राजकीय महाविद्यालय, पाटी	01.10.2024
7	राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी	04.09.2024
8	राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल	31.05.2024
9	राजकीय महाविद्यालय, अमोड़ी	06.02.2025
10	एस0एम0जे0एन0 पी0जी0 कॉलेज, गोविन्दपुरी, हरिद्वार	15.02.2025

निर्णय– समिति सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय को लगातार प्राप्त हो रहे आवेदनों पर चर्चा करते हुए यह सहमति बनी कि विश्वविद्यालय के ढांचागत व्यवस्था में बेहतरी व कुशलता लाने के लिए आवश्यकतानुसार किसी भी संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति महोदय द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18/02/2025

मद संख्या 19.09–परीक्षा कार्यों के लिए परीक्षा ड्यूटी में किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विज्ञापन निविदा (दरों की मांग के साथ ओपन टेण्डर) की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा से जुड़ी हुई गोपनीय व सहायक सामग्री भेजने एवं परीक्षा होने के उपरांत उक्त सामग्री/दस्तावेजों को मुख्यालय तक लाने के लिए प्रत्येक सत्र में किराये पर वाहनों की आपूर्ति समय–समय पर विभिन्न सेवाप्रदाताओं से ली जाती रही हैं। किराये पर लिये गये वाहनों का भुगतान उत्तराखण्ड परिवहन आयुक्त, देहरादून द्वारा वर्ष 2022 में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। अभी तक समय–समय पर जिन सेवाप्रदाताओं द्वारा परिवहन विभाग की दरों पर वाहन उपलब्ध कराये हैं, उनका यह व्यक्तव्य रहता है कि निर्धारित दरें, बाजार में प्रचलित दरों के सापेक्ष न्यूनतम है, जिस कारण उन्हें वाहन उपलब्ध कराने में समस्या रहती है। यह भी कथन हुआ कि उक्त निर्धारित दरों के कारण से टेण्डर की प्रक्रिया भी कुशलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पा रही है।

समिति के सम्मुख प्रस्तावित हुआ कि आगामी परीक्षा सत्रों से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017(यथासंशोधित) के अन्तर्गत दरों की मांग के साथ विज्ञापन निविदा की प्रणाली से टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करना उपयुक्त होगा, ताकि परीक्षा के समय समुचित तौर पर वाहनों की कुशलतापूर्वक व्यवस्था हो सके।

निर्णय– **बैठक में सभी सदस्यों द्वारा परीक्षा कार्यों की महत्ता व निश्चित अवधि में आयोजन करने के दृष्टिकोण से प्रस्तावानुसार टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।**

मद संख्या 19.10–परीक्षा कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री यथा कम्प्यूटर प्रिन्टर, कार्टेज, ओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र, उत्तरपुस्तिका आदि हेतु प्रतिष्ठित सेवाप्रदाताओं को सूचीबद्ध किये जाने के लिए निर्णय।

विदित है कि परीक्षा कार्य आरम्भ करने के तिथि से लेकर सम्बन्धित शिक्षार्थी को उपाधि प्रदान करने तक का टास्क, विश्वविद्यालय का सर्वोपरि व निश्चित अवधि का निर्धारित कार्य है। प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा कार्यों के सफल सम्पादन हेतु उपयोग में लायी जाने वाली सामग्रियां यथा कम्प्यूटर प्रिन्टर, कार्टेज, ओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र व उत्तरपुस्तिका आदि के लिए समय–समय पर टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिप्राप्ति की जाती रही है। परीक्षा अनुभाग का मत है कि कतिपय बार या तो उक्त सामग्री ससमय पर प्राप्त नहीं हो पाती है अर्थात देरी से प्राप्त होती है, जिस कारण परीक्षा अनुभाग के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत एवं परीक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया कि परीक्षा कार्यों के सफल सम्पादन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले कम्प्यूटर प्रिन्टर, कार्टेज, ओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र व उत्तरपुस्तिका आदि सामग्रियों के लिए परीक्षा अनुभाग के स्तर से प्रतिष्ठित फर्मों को उनके अनुभव व कुशलता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाना उचित होगा।

निर्णय– समिति का यह सुझाव हुआ चूंकि प्रस्ताव पर वित्तीय उपाशय निहित है, अतः विचारोपरांत सहमति दी गयी कि परीक्षा कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई सामग्रियों, यथाओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र व उत्तरपुस्तिका आदि हेतु यथाशक्य सम्भव अवधि में अधिप्राप्ति की प्रक्रिया परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। इस हेतु प्रतिष्ठित फर्मो का चयन कर सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8/07/2025
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

मद संख्या 19.11–परीक्षा व मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यो को छोड़कर परियोजना, लघु शोध व क्षेत्रीय निर्देशन आदि कार्यो की पत्रावलियाँ विभागीय स्तर से ही परिचालित कराना।

अवगत कराया गया कि कतिपय समय विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों द्वारा सम्बन्धित विषय के परियोजना, लघु शोध व क्षेत्रीय निर्देशन आदि संबन्धी कार्यों से जुड़ी हुई पत्रावलियों को परीक्षा अनुभाग के माध्यम से परिचालित की जा रही है, जबकि स्पष्ट है कि इस हेतु सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष परिचालन स्तर पर सक्षम प्राधिकारी है। परीक्षा अनुभाग के माध्यम से केवल वे पत्रावलियां ही परिचालित की जानी उचित होगी, जो विशुद्ध रूप में परीक्षा व मूल्यांकन के कार्यो से जुड़े हो।

निर्णय– **समिति द्वारा उल्लिखित प्रस्ताव/सूचना का अवलोकन करने पर चर्चोपरांत यह पाया कि परियोजना, लघु शोध व क्षेत्रीय निर्देशन पाठ्यक्रमों में संबंधी कार्य अकादमिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसकी पत्रावलियों का सम्पादन संबंधित अकादमिक विभाग से किया जाना उचित होगा। इसके तहत निर्देशन संबंधी पत्र सुसंगत विद्याशाखा के निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेगें। परीक्षा नियंत्रक केवल मूल्यांकन संबंधी कार्यों से जुड़ी हुई पत्रावलियों का परिचालन करेंगे।**

मद संख्या 19.12–परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 के निर्णित मद संख्या 18:03 के अनुरूप निर्धारित मानको में संशोधन।

समिति का ध्यानाकर्षित किया गया कि परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 के निर्णित मद संख्या 18:03 के अनुरूप परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु बण्डलों का संकलन, उत्तरपुस्तिकाओं का परीक्षकों को प्रेषण एवं परीक्षणोपरांत परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त उत्तरपुस्तिकाओं की छटनी कार्य हेतु विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों के समूह को उनकी तैनाती/नियोजन के प्रकारानुसार दायित्व दिये गये हैं।

प्रस्तावित है कि उक्त गठित समूह में परीक्षण अवधि के दौरान परीक्षा कण्ट्रोल रूप के लिए भी अन्य 02 तृतीय श्रेणी के कार्मिकों (परीक्षा अनुभाग) को योजित करने की आवश्यकता हो रही है। इसके अलावा उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा की दृष्टिकोण से 01 सुरक्षा कार्मिक (24 घंटा) की तैनाती एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की आवश्यकता है।

निर्णय– **प्रस्ताव का गहन अध्ययन करने के बाद समिति ने यह देखा कि प्रस्तुत प्रस्ताव परीक्षा परिणाम के निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ शीघ्रातिशीघ्र तैयार कराये जाने के दृष्टिकोण से तार्किक है। अतः बैठक में हुई सहमति अनुरूप पूर्व परीक्षा समिति की बैठक में निर्णित उक्त मद में निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा छटनी कार्य के लिए निर्धारित कक्ष/भवन में 01 सुरक्षा कार्मिक की तैनाती व आवश्यकतानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की तत्काल व्यवस्था के लिए कुलसचिव को निर्देशित किया गया।**

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18/02/2025

क्रमांक	तैनाती प्रभार / दायित्व	कार्मिकों की संख्या	धनराशि रूपये में(प्रति कार्मिक)	अभियुक्ति
1	समन्वयक / उप परीक्षा नियंत्रक / सहायक परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव	01	7000	पूर्व से निर्धारित
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त चालान से मिलान कर उत्तरपुस्तिका प्राप्त करना तथा मूल्यांकन हेतु निर्गत करना)	06 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 03 अन्य अनुभाग से)	5000	
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (क्रमांक 1 व 2 की सहायता हेतु)	05 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 02 अन्य अनुभाग से)	4000	
4	तृतीय श्रेणी कर्मचारी OMR (अवार्ड शीट) प्रिंटिंग हेतु	02	5000	
5	तृतीय श्रेणी कर्मचारी, परीक्षा के दौरान परीक्षा अनुभाग में सम्बद्ध	02	5000	
6	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रयोगात्मक, मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फिल्ड वर्क)	02	5000	
7	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (टेबुलेशन हेतु)	02	5000	
8	वित्त नियंत्रक के निवर्तन पर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में किए जाने वाले सहयोग हेतु	....	10000	
9	कण्ट्रोल रूप के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02 (परीक्षा अनुभाग)	5000	नवीन / संशोधित

मद संख्या 19.13–उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी कार्य, चयन समिति व अन्य विविध कार्यों के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 183, दिनांक 13.02.2025 पर चर्चा।

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी कार्य, चयन समिति व अन्य विविध कार्यों के लिए प्रदेश के राजकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों से समय–समय पर सहयोग लिया जाता रहा है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नियमानुसार मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

संज्ञान में है कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 183, दिनांक 13.02.2025 के द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में अवस्थित राजकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों से समय–समय पर कराये जाने वाले कार्यो से पूर्व सम्बन्धित के प्राचार्य / निदेशक से 15 दिवस पूर्व अनुमति लेने एवं इसकी सूचना विधिवत रूप से समर्थ पोर्टल पर प्रविष्ट करने के उपरांत ही सहयोग लिया जाय। उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु दिशा–निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– समिति ने चर्चा करने के उपरांत यह माना है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने तक परीक्षा की सुरक्षित व्यवस्था व गोपनीयता सर्वोपरि है, जिसमें अवांछित सार्वजनिकता से बचा जाना उचित होगा। शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बन सकती है। अतः उपरोक्त प्रकरण पर पुर्नविचार करना उपयुक्त होगा। प्रस्ताव के अन्त में यह सहमति बनी कि कुलसचिव को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र पर पुर्नविचार करने के संबंध में शासन से पत्राचार किया जाए। जिन भी शिक्षकों का चयन परीक्षा के गोपनीय कार्य के लिए किया जा रहा है वह अपने स्तर पर विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वयं कार्यवाही सम्पादित करेगा।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18/02/2025

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

मद संख्या 19.14— विश्वविद्यालय के परीक्षा मूल्यांकन को डिजिटलीकरण करने की प्रदत्त सहमति पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिशा—निर्देश।

समिति भिज्ञ है कि विश्वविद्यालय योजना बोर्ड की षष्ट्म बैठक, दिनांक 06.09.2023 में हुई चर्चा के उपरांत कार्यपरिषद की 38वीं बैठक, दिनांक 04.11.2023 में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के मूल्यांकन को डिजिटलीकरण करने का निर्णय हुआ था। इसके बाद परीक्षा समिति की 17वीं बैठक में निर्दिष्ट संस्तुतियों पर वित्त समिति की 17वीं बैठक में उक्त प्रयोजन हेतु जैम पोर्टल से दरों का आंकलन करते हुए तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का निर्णय हुआ है।

इसके उपरांत अवगत कराया गया कि जैम पोर्टल से दरों का आंकलन कर जैम निविदा तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है, लेकिन इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के **परीक्षा मूल्यांकन को डिजिटलीकरण करने के लिए एकीकृत पोर्टल** तैयार करने पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाईन/ऑफलाईन तौर पर बैठक कर विचार—विमर्श भी किया गया है, जिस पर शासन स्तर से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णय— **समिति द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा करने के उपरांत यह मत व्यक्त किया कि शासन के एकीकृत मॉडल पर समय लगने की संभावना है। अतः कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से एवं पूर्व से निर्णित कार्य पर होने वाले विलम्ब से बचने के लिए समिति की यह संस्तुति है कि वर्तमान में उपरोक्त कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर यथाशीघ्र कोटेशन/निविदा के माध्यम से सम्पादित करा लिया जाय। भविष्य में गुणदोष के आधार पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत टेण्टर/जैम बिड के माध्यम से कार्य सम्पादित कराया जा सकेगा।**

मद संख्या 19.14— अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

1. आकस्मिक स्थिति में यदि किसी भी परीक्षा केन्द्र पर संसाधनों की कमी दर्शित होती है या परीक्षा कराये जाने हेतु किसी केन्द्र के द्वारा मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक तौर पर परीक्षाओं का आयोजन निश्चित व निर्धारित परीक्षा अवधि में पूर्ण करने के लिए परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति महोदय समयानुकूल यथोचित निर्णय ले सकेंगे।

2. विश्वविद्यालय कार्य हेतु निजी वाहन प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत यदि उस कार्मिक द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग किया जाता है, जिसका वह स्वामित्व नही रखता है तो ऐसी स्थिति में यात्रा भत्ता दावे के लिए उस कार्मिक को संबंधित वाहन के किये गये उपयोग का अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बैठक के अन्त में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सदस्य सचिव, परीक्षा समिति /परीक्षा नियंत्रक

18/02/2025

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

अध्यक्ष, परीक्षा समिति/कुलपति

18/2/25

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)